Title: Need to take suitable steps to check the menace of Neelghai causing heavy damage to crops in Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, वर्तमान में रोज़ड़े (नीलगायें) राजस्थान तथा हरियाणा राज्य के अनेक जिलों में किसानों की बोई हुई फसलों को खाकर, बर्बाद कर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए रात-रात भर खेतों पर ही जागना पड़ता है। कई बार ये रोज़ड़े (नीलगायें) बच्चों और स्त्रियों पर आक्रमण कर शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं। करोड़ों रुपये की फसलें ये रोज़ड़े खाकर नट कर बर्बाद कर देते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बहुत अधिक परेशान हैं।

वर्तमान में इन रोज़ड़े (नीलगायों) पर भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम की अनुसूची दो में सूचीबद्ध " नील्बाय" (इण्डीगो) अंकित होने के कारण शिकार करने या मारने पर भारी जुर्माने और दो माह की कैद का प्रावधान होने के कारण प्रतिबंध है। कुछ लोग इसे नीलगाय मानकर पवित्र समझकर इसे भावनात्मक संरक्षण प्रदान करते हैं।

केन्द्रीय शुक क्षेत्र अनुसंधान (काजरी) जोधपुर के विशेज्ञों के अनुसार इन रोज़ड़ों (नीलगायों) की संख्या नियंत्रित करने के लिए सरकार इनकी चयनित छंटाई के लिए कार्यवाही करें तथा जिलाधिकारियों को यह शक्तियां प्रदान करे ताकि वे वन्य प्राणी अधिनियम की अनुसूची-2 के अन्तर्गत आने वाले इन पशुओं को मारने के लिए लाइसेंस जारी कर सके।

अतः भारत सरकार से मेरा प्रबल अनुरोध है कि नीलगायों (रोज़ड़ों) की तेजी से बढ़ रही आबादी को अविलम्ब रोकने हेतु इन्हें वन्य प्राणी अधिनियम की अनुसूची-2 से पृथक किया जाये तथा नीलगायों (रोज़ड़ों) का शिकार करने के लिए ग्रामीण किसानों को लाइसेंस जारी किये जायें जैसा कि आस्ट्रेलिया में कंगारुओं के मामले में किया जा रहा है।